राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2023–24/ 43 दिनांकः 15.3.24

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की ई–निविदा सूचना प्रकाशित करने के क्रम में।

महोदय

पत्र के साथ संलग्न ई–निविदा सूचना छः प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। आप से अनुरोध है कि निम्न समाचार पत्रों में ई–निविदा सूचना शीघ्र प्रकाशित करने का श्रम करें:–

1. राज्य स्तर का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जिसकी प्रसारण संख्या 50,000 प्रतियाँ प्रतिदिन या अधिक हो।
2. वृहत् परिचालन वाला राष्ट्रीय स्तर का एक दैनिक समाचार पत्र।

संलग्नः ई–निविदा सूचना की प्रति।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2023–24/ दिनांकः

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट *rmsc.health.rajasthan.gov.in* पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs/MCDWs) राजस्थान (समस्त)।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by R... ndra Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2024.0... .47:34 IST
Reason: Appro...

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3
फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in
CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2023–24/ 50 दिनांकः 15.3.24

जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु ई–निविदा सूचना
वित्तीय वर्ष 2024–25 के 12 माह हेतु

निगम द्वारा 12 माह हेतु जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में) के पेटे घोषणा पत्र	ई–निविदा शुल्क (₹)	RISL प्रोसेसिंग फीस (₹)	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य	474.00	9.48	2360.00 (2000+18% GST)	2360.00 (2000+18% GST)	20.03.2024 10.30 बजे	28.03.24 3.30 बजे	05.04.24 12.00 बजे तक	08.04.24 03.00 PM तक	08.04.24 05.00 PM

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट *"www.dipronline.org"*, *sppp.rajasthan.gov.in* एवं *rmsc.health.rajasthan.gov.in* पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट *"http://eproc.rajasthan.gov.in"* पर ही प्रस्तुत की जाएगी।

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि Rs. 2360.00 (2000+18% GST), **RISL प्रोसेसिंग फीस राशि Rs. 2360.00** (2000+18% GST) **व बोली प्रतिभूति राशि Rs. 9.48 लाख के अलग–अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 08.04.2024 समय दोपहर 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।**

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

RajKaj Ref
6163777

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन न: 0141–2228060–61, फैक्स न: 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2023–24/ दिनांक:

कार्य की अनुमानित लागत –Rs. 474.00 लाख

बोली प्रतिभूति – Rs. 9.48 लाख

<u>प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड</u>

ऑनलाईन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि– 08.04.2024 समय 3.00 बजे तक

जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1. जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य के लिए ई–निविदा :–
2. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फ़र्म का नाम, ...
3. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित एवं पेन नम्बर ....
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
5. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
6. ई–निविदा सूचना संदर्भ एफ 9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/हेल्पर्स/2023–24/ दिनांक................
7. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि Rs. 2360.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या......................दिनांक.............................. RMSCL के पक्ष मे देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है।
8. हम प्रबन्ध निदेशक, **राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर** द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य संबंधी दरें अंकित करनी है। वस्तु एवं सेवाकर **(GST) की दरें पृथक से दर्शाई जानी है।**
10. जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या अभिवृद्धि की जा सकती है।
11. जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई संविदा अवधि एक वर्ष के 12 माह के लिए हैं जिसे नियमानुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

Signature valid
RajKaj Ref 6163777
Digitally signed by Rajendra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.0 .15 47:34 IST
Reason: Appro

12. ई–निविदा प्रपत्र के साथ बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाने है:–

क्र.सं.	**विवरण**	**रजि. सं.**	**वर्ष**	**पंजीकरण दिनांक**	**संलग्नक क्रमांक**
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 **या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
7	Contract Act				

13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'स')** संलग्न है।
14. पूर्व में समान प्रकेत्ण्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'द')** संलग्न है।
15. ई–निविदा की विधिमान्यता की कालावधि तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से अधिकतम 90 दिन होगी।
16. तकनीकी निविदा में Responsive निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
17. वित्तीय निविदा में अगर एक से अधिक फर्मे न्यूनतम दर (एक ही दर) वाली आने पर, जिस निविदादाता टर्न ऑवर अधिक होगा उसी को न्यूनतम दरदाता माना जाएगा।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by H[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible].15 [illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/ 2023–24/· दिनांकः

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

निगम मुख्यालय, जयपुर, विभिन्न जिलों में स्थित जिला औषधि भण्डार गत्ऍहों (DDWs), एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गत्ऍहों (MCDWs) पर जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा हेतु ई–निविदा

1. परिचय :– राजस्थान मेडिकल सविर्सेज कॉर्पोरेशन लि0 राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकत्ऍत राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। निगम का उद्देश्य केन्द्रीयकत्ऍत व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि का क्रय कर राजस्थान राज्य स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानो/अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा औषधियो के क्रय हेतु मुख्यालय जयपुर से औषधियों/ सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि के लिए विनिर्माता फर्मो को सीधे क्रयादेश दिए जाते है एवं आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा क्रयादेश की पालना में समस्त राजस्थान में स्थित **33 जिलो में** स्थित निगम के 34 जिला औषधि भंडार गत्ऍहों **(DDWs)** एवं 6 मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गत्ऍहो **(MCDWs)** में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा विनिर्माता/आयातक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है।

निगम के जिलो में स्थित DDW में जहॉं एक ओर आपूर्तिकर्त्ता फर्मो द्वारा औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है एव संबंधित DDW/MCDW द्वारा उस जिले में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी इत्यादि के अधिकत्ऍत प्रतिनिधियो द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार DDW/ MCDW से औषधियॉं सर्जिकल्स/सूचर्स आदि प्राप्त किए जाते है।

निगम द्वारा निगम मुख्यालय एवं समस्त राज्य स्थित DDW/ MCDW कार्यालयों पर जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा हेतु, सेवा प्रदाता फर्म/सोसाइटी जिन्हें इस कार्य का पूर्व में अनुभव है से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। **उक्तानुसार जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा ईकाई के लिए बेसिक हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान एवं पैकर्स/हेल्पर्स को औषधियों के गोदाम/मेडिकल स्टोर पर कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।** पैकर्स/हेल्पर्स सेवा (Units) की संख्या में प्रत्येक जिले पर औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के आवक/जावक के अनुसार वत्ऍद्धि/कमी की जा सकती है।

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

<u>निगम मुख्यालय तथा जिला औषधि भंडार गत्ेहों (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गत्ेहों (MCDWs) पर पैकर्स/हेल्पर्स सेवा इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-</u>

क्र.सं.	जिला औषधि भण्डार गत्ेह (DDW/MCDW)	निगम द्वारा अनुमोदित सेवा इकाई की कुल संख्या	वर्तमान में कार्यरत पैकर्स/हेल्पर्स सेवा इकाई की कुल संख्या
1	Jaipur I	10	10
2	Jaipur II & MCDW	9+10=19	19
3	Ajmer & MCDW	10+10=20	19
4	Alwar	10	10
5	Banswara	9	9
6	Baran	8	7
7	Barmer	10	10
8	Bharatpur	10	9
9	Bhilwara	10	8
10	Bikaner & MCDW	9+10=19	19
11	Bundi	7	7
12	Chittorgarh	9	8
13	Churu	10	9
14	Dausa	8	8
15	Dholpur	7	6
16	Dungarpur	10	7
17	Ganga Nagar	9	10
18	Hanumangarh	9	7
19	Jaisalmer	7	6
20	Jalore	9	7
21	Jhalawar	10	10
22	Jhunjhunu	10	10
23	Jodhpur & MCDW	10+10=20	20
24	Karauli	8	8
25	Kota & MCDW	8+10=18	16
26	Nagaur	10	10
27	Pali	10	7
28	Pratapgarh	7	7
29	Rajsamand	8	8
30	S.Madhopur	8	7
31	Sikar	10	10
32	Sirohi	7	7
33	Tonk	9	8
34	Udaipur & MCDW	10+10=20	17
35	RMSCL HQ	40	40
Total		[illegible]	[illegible]

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation [illegible]Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

2. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो (2020–21 2021–22 एवं 2022–23) अथवा (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) का औसत टर्न ऑवर Rs. 150.00 लाख प्रतिवर्ष हो। इस हेतु वांछित सनदी लेखाकार से प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है:–

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 **या** इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत **या** इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

3. **<u>फर्म द्वारा विगत वर्षों में न्यूनतम 200 इकाई पैकर्स/हेल्पर किसी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम में उपलब्ध करवाने का विगत 3 वर्षो का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। जिसमें यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि फर्म द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान संविदा कर्मचारियों का EPF एवं ESI अंशदान समय पर जमा करा दिया गया है एवं फर्म उक्त राशि जमा कराने में डिफाल्टर नहीं है। उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2023 के बाद जारी किया हुआ होना चाहिए।</u>**
4. आवेदक को पंजीकत्ेण्त कार्यालय/शाखा का पूर्ण पत्ता, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर एव E-mail ID सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकत्ेण्त कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप के अन्तर्गत पंजीकत्ेण्त फर्मो को वरीयता दी जावेगी जि[illegible] रो[illegible]पलब्ध करवाने का उल्लेख आवश्यक है।
7. **जो भी निविदादाता EPF एवं ES[illegible] अंशदान जमा करने में [illegible] रहा है उसको इस निविदा में तकनीकी रूप से अयो[illegible]**

Signature valid
RajKaj Ref 1[illegible]
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 202[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

3. कार्यों का विवरण

❖ निगम मुख्यालय, जयपुर

- कार्यालय की फाईले एवं दस्तावेजों को एक शाखा/स्थान से दूसरी शाखा/स्थान पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रूप से पहुँचाना।
- सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदात्ता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- गुणवत्ता शाखा के लिए विभिन्न जिला औषधि भण्डार गत्ण्हों से जो औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री इत्यादि मुख्यालय जयपुर को समय-समय पर गुणवत्ता जाँच हेतु आते है। इन्हें सुव्यवस्थित रूप से लोडिंग/अनलोडिंग करना।
- जिस शाखा में उनकी सेवाएँ ली जा रही है। उनके अधिकारियों/ कर्मचारियों के निर्देशानुसार विभिन्न कार्य सम्पादित करना।
- सेवा इकाई की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में दूसरी सेवा इकाई 03 दिवस की अवधि में उपलब्ध करानी होगी।

❖ **जिला औषधि भण्डार गत्ण्ह** (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गत्ण्ह **(MCDW) परः-**

- भण्डार गत्ण्ह का पूर्ण रख-रखाव।
- औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गत्ण्ह (DDW/ MCDW) के निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना।
- औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गत्ण्ह (DDW/ MCDW) के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता होने पर लौडिंग/अनलौडिंग का कार्य करना।
- सामान्यतः सेवा, राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश में भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।
- सेवा इकाई की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में दूसरी सेवा इकाई 03 दिवस की अवधि में उपलब्ध करानी होगी।

4. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध अवधि में मांग की पैकर्स/हैल्पर सेवा इकाई समयबद्ध नही लगाई जाती है, तो संबंधित फर्म से उसके स्थान पर अन्य से करवाए गए कार्य की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की जाएगी।

5. भण्डार गत्ण्हों पर कार्य सम्पादित इकाईयों से यदि किसी भी प्रकार की सामग्री का नुकसान/हानि होती है, तो सामग्री की लागत(क्रय मूल्य) संबंधित फर्म से वहन किया जाएगा।

RajKaj Ref 6163777

Signature valid
Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0... ...47:34 IST
Reason: Appro...

6. ई–निविदा का खोला जाना

दिनांक 08.04.2024 को सांयः 3 बजे तक प्राप्त/Upload ई–निविदादाताओं की तकनीकी बिड दिनांक 08.04.2024 सांयः 5 बजे खोला जाएगा।

7. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत (नियमानुसार) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security) जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति (bid Security) के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

8. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए पैकर्स सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को प्रत्येक जिले/संभाग स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

9. ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई–निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। अपूर्ण ई–निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। ई–निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation) एवं बिना बातचीत स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निगम को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

10. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित पैकर्स/हेल्पर्स की संख्या अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन (कमी या वत्ेण्द्धि) संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि Rs. 474.00 [illegible] पर नियमानुसार (Income tax & GST TDS) कटौती कर राशि का [illegible]तान किया जाएगा।

Signature valid
RajKaj Ref 6163777
Digitally signed by [illegible]ndra Singh
Designation [illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

11.निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि 12 माह के लिए होगी, आपसी सहमति से आरटीपीपी नियमो के अन्तर्गत बढाई जा सकती है।

12.अनुबन्ध

दो फर्मो की दरें समान आने पर फर्म की विगत 03 वर्षों से ओसत टर्नऑवर के आधार पर जिस फर्म का अधिक होगा, उसे L-1 Bidder मानते हुए Work Contract Award किया जायेगा।

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि Rs. 5,000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् जिला औषधि भण्डार गत्ऽेह की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स/हेल्पर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

13.भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता, सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित निगम/जिला/मेडिकल औषधि भण्डार गत्ऽेह के प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होगें। **निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता/सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा एवं अनुपस्थिति के दिवसों हेतु आनुपातिक कटौती की जाएगी।**

14.भुगतान की जिम्मेदारी

निगम द्वारा निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर प्रस्तुत किए गए बिलों का भुगतान किया जाएगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। पैकर्स/हेल्पर्स सेवा इकाई को प्रतिमाह पारिश्रमिक का भुगतान निविदादाता (सेवाप्रदाता) फर्म द्वारा किया जाएगा।

15.मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

14. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को [illegible] बिना [illegible] भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार हो [illegible] लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

Signature valid
RajRaj Ref
6163177
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5 [illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

15. सर्विस चार्ज

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें (सर्विस चार्ज) में सभी प्रकार के खर्चे यथा–कार्यालय व्यय, समन्वय खर्च, निरीक्षण चार्ज, सर्टिफिकेट संबंधित खर्च, बोली प्रतिभूति का ब्याज/खर्च एजेंसी का लाभांश आदि सम्मिलित होंगे।

अगर यह पाया जाता है कि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें औचित्यपूर्ण नहीं है, अर्थात निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में सभी प्रकार के खर्चे, मैनेजमेन्ट फीस ऑवरहेड चार्जेस आदि समाहित/वहन (meet out) नहीं हो रहे हैं तो, RMSCL द्वारा निविदादाता से विस्तत्ेण्त Rate Justification माँगा जा सकता हैं।

यदि निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकार्य (Feasible) नहीं है तो न्यूनतम ऑफर (L1) निरस्त किया जाकर RMSCL अगले न्यूनतम दर वाले निविदादाता या Most Advantages Bidder/Offer को स्वीकार करेगी।

16. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पत्ेण्ष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

17. ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

18. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई–निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

19. पैकर्स/हेल्पर्स को BOQ के अनुसार अनुमोदित मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान को संबंधित विभागों में निर्धारित तिथि तक जमा कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी। यदि अंशदान विलम्ब से जमा कराया जाता है तो निगम द्वारा किसी भी प्रकार के विलम्ब शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों एवं ई. पी.एफ/ई.एस.आई. की दरों में वत्ेण्द्धि की जाती है तो पैकर्स/हेल्पर्स की मजदूरी का भुगतान संशोधित दरों के आधार पर किया जाएगा।

RajKaj Ref
6163777

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5 [illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

20. पैकर्स/हेल्पर्स के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकरेण्त होने एवं उनके यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबंधकर्ता का होगा तथा पैकर्स/हेल्पर्स के यू.ए.एन./यूनिक आईडी नम्बर की सूची निगम को उपलब्ध करवानी होगी।

21. पैकर्स/हेल्पर्स की ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. अंशदान की राशि संबंधित विभागों में जमा कराने की मासिक सूचना मय चालानों की प्रति के अगले माह के बिल के साथ निगम को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा। **साथ ही गत माह में पैकर्स/हेल्पर्स को किए गए भुगतान का विवरण भी आगामी माह के बिल के साथ निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा यदि निविदादाता द्वारा निरन्तर 02 माह तक उक्त सूचना मासिक बिलों के साथ उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो फर्म को ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है:–**

S. No.	Name of Packer	UIN No.	Name of Office	Basic Salary	No. Of Present days	Total Salary Payable	Employee's Contribution			Net Amount Paid to packer (7-10)	Employer's Contribution			Total (7+14)	Agency Service Charges	Total (15+16)
							EPF	ESI	Total (8+9)		EPF	ESI	Total (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Total	
															SGCT	
															CGST	
															Grand Total	

22. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

Signature valid
RajKaj Ref 8163773
Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.0... :47:34 IST
Reason: Appro...

23. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वर्त्तन्द्वि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

24. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वर्त्तनिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वर्त्तनिक कर्त्तव्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवर्त्तन्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में [illegible] कर सकेगा।

RajKaj Ref
6163777

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation [illegible]Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]5[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कर्त्तव्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तत्त्णीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तत्त्णीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

25. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 **अपील:–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई विनिश्चय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है,

Signature valid
RajKaj Ref 6103777
Digitally signed by ...dra Singh
Designation: Executive Director
Date: 2024.0... 47:34 IST
Reason: Approved

स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'र')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

Signature valid
RajKaj Ref 6163777
Digitally signed by
Designation: Executive Director
Date: 2024.0 47:34 IST
Reason: Appro

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्ररूप – (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप **(प्रपत्र –'र')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकर्त्ेत डाक द्वारा या प्राधिकर्त्ेत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस – (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

RajKaj Ref
6163777

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

25. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0... ...:47:34 IST
Reason: Appro...

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

BOQ Formet

निगम मुख्यालय जयपुर एव विभिन्न जिलों में
स्थित DDWएंव MCDW पर जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर्स सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव

फर्म का नाम व पता :–

....

....

वित्तीय निविदा

प्रपत्र "ब"

क्रम संख्या	सेवा का नाम/ श्रमिक की श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगा मय संख्या			नियोक्ता का अंशदान		कुल राशि (5+6+7)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज (कॉलम संख्या 8 की राशि पर)		GST दर प्रतिशत	कुल राशि (8+10+11)
		अनुमानित श्रमिकों की संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी दर प्रति इकाई प्रतिमाह राशि रू	निविदादाता द्वारा प्रति इकाई प्रतिमाह प्रस्तावित मजदूरी की राशि	EPF राशि रू	ESI राशि रू		प्रतिशत	राशि रू		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जॉब आधारित पैकर्स/हेल्पर (अर्द्ध कुशल)	380	7722/-								

नोट :– 1. निविदादाता द्वारा <u>निर्धारित प्रपत्र (BOQ) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा</u> अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

- **सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 5 से 11 तक की पूर्ति स्वय को करनी होगी तथा कॉलम संख्या 5 में बेसिक राशि प्रति इकाई प्रतिमाह भरी जानी है।**
- **सेवा प्रदाता संस्था द्वारा कॉलम संख्या 8 की राशि पर ही सर्विस चार्ज की प्रतिशत एवं राशि अंकित की जानी है। जैसे– 2%, 5% इत्यादि।**
- **अनौचित्यपूर्ण दरें (Non-feasible) स्वीकार्य नहीं होंगी। निविदादाता को सर्विस चार्ज में सभी खर्चे/मैनेजमेन्ट फीस/ऑवरहेड प्रॉफिट आदि सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करनी है।**

RajKaj Ref 6163777

Signature valid
Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रपत्र –'स'

<u>वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C, Receipts payment (Income & Expanditure A/C) की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि Rs. लाखों में)
1.	2020–21	
2.	2021–22	
3.	2022–23	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

<u>अथवा</u>

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि Rs. लाखों में)
1.	2021–22	
2.	2022–23	
3.	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / [illegible]

फर्म [illegible] हस्ताक्षर एवं पंजीयन संख्या

[illegible]

Signature valid

RajKaj 6163777

Digitally signed by [illegible]ndra Singh

Designation: [illegible] Director

Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST

Reason: Appro[illegible]

प्रपत्र –'द'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है एवं आपूर्तित सेवा इकाईयों का EPF/ESI अंशदान संबंधित विभागों में हमारे द्वारा समय पर जमा कराया गया है। इसमें हम Defaulter नहीं है यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid

RajKaj Ref 6163777

Digitally signed by R[illegible]ndra Singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2024.0[illegible]:47:34 IST
Reason: Appro[illegible]

प्रपत्र र

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.............of.................

Before the..................................(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official *Address*, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

....

....

....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

Place.....................................Date.............

....

Appellant's Signature

RājKaj Ref
6163777

Signature valid
Digitally signed by R...ndra Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2024.0...:47:34 IST
Reason: Appro...